२५

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास योजनाएं, जयपुर।
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन जयपुर)

क्रमांक भू॰अ॰ न॰वि॰/96/ 277 दिनांक 12/7/96

विषय :- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कार्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर की भूमि अवाप्ति (पृथ्वीराज नगर योजना)

मुकदमा नम्बर
- - - - - - - -
382/88
457/88
458/88
470/88
480/88
460/88
265/88
461/88
464/88
504/88
456/88
272/88

-: अवार्ड :-
- - - - -

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1994 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या -1) की धारा 4(1) के तहत पत्र क्रमांक प॰6 (निविआ)/11/87 दिनांक 6-9-88 तथा जिसका प्रकाशन राजस्थान राज पत्र में दिनांक 5-7-1988 को कराया गया

भूमि अवाप्ती अधिकारी आवास विकास परियोजनाएं जयपुर द्वारा 5ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा भूमि अवाप्ती अधिनियम कि धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 की विज्ञाप्ती का प्रकाशन पत्र क्रमांक प॰6 (15) नविआ/3/87 दिनांक 28-7-1989 को हुआ जिसका राजस्थान राज पत्र में दिनांक 31-7-1989 को हुआ है

धारा 6 का गजट राजस्थान राज पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा सर्व साधारण की सूचनार्थ सार्वजनिक स्थानों पर दिनांक 23.8.89 को धारा 6 का नोटिस का प्रकाशन कराया गया तथा दैनिक समाचार पत्रों के द्वारा भी दिनांक 12-8-1989 को नोटिसों का प्रकाशन कराया गया।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा धारा 6 का प्रकाशन कराया गया। उसमें ग्राम नियमावाला तहसील जयपुर की अवार्ड हेतु निम्न लिखित भूमि का माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण अवार्ड पारित नहीं किया गया। अब माननीय उच्च न्यायालय ने 116 अपीलों का निर्णय राज्य सरकार/ एवं जयपुर विकास प्राधिकरण

2 [illegible] प्रति L.A.O. कार्यालय में दिनांक 18.5.96 को प्राप्त हुई 2

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम में हो गया है। अवाप्तशुदा खसरा नम्बरान की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	मु.नं.	ख.नं.	अवाप्तशुदा भूमि का रकबा बीघा	बिस्वा	खातेदारों का नाम मय पिता के धारा 6 की विज्ञप्ति के अनुसार
1.	562/88	390	12	16	नाथू, धन्ना, आनन्दा, छगनाराम, छोटू पि. बालू 5/6, [illegible] 1/2 मुमानी पुत्र बिरदा हि. 1/4 भूरीलाल पुत्र धारती 1/4
		391	16	15	
		392	06	03	
		393	03	02	,, ,,
2.	457/88	226	0.1	03	गुल्ला पुत्र [illegible] हि. 1/2 [illegible] सोनू [illegible] पिता [illegible] हि. 1/2 [illegible]
		227	00	01	,, ,,
		232	00	01	,, ,,
		326	00	01	,, ,,
3.	458/88	173	00	02	श्रीनारायण, गंगासहाय पिता ग्यारसा हरि.
		174	04	06	,, ,,
		215	00	02	,, ,,
		216	02	16	,, ,,
		217	02	04	,, ,,
		218	04	06	,, ,,
			13	16	
4.	478/88	251	00	02	मुमानी पुत्र बिरदा, भूरीलाल पुत्र धारती 1/2 श्रीनारायण धन्ना, आनन्दा, नाथू छोटू, छगनाराम पिता बालू, [illegible] व कानी पि. मु. मानी 1/2 कौम हरि. ब्राह्मण
5.	480/88	315	06	06	श्रीनारायण गंगासहाय पिता ग्यारसा 1/2 [illegible] चन्दा, रामकुंवर पिता [illegible] 1/2 हरि. ब्राह्मण
		316	06	02	
		410	15	00	
		411	01	12	,, ,,
		412	00	03	,, ,,
		413	03	01	,, ,,
		414	00	17	,, ,,
		415	00	04	,, ,,
		416	02	07	,, ,,
		417	00	15	,, ,,
			31	15	
6.	460/88	197	02	03	श्रीनारायण गंगासहाय पिता ग्यारसा 1/2 मु. [illegible] गुल्ला हि. 1/2
		199	01	03	
		200	02	03	,, ,,
			3-	09	
7.	285/88	77	02	10	मुमानी पुत्र बिरदा, भूरीलाल पुत्र धारती [illegible] नाबालिक [illegible] माता गुलाब बेवा धारती कौम हरि. ब्राह्मण
		244	0	15	
		245	00	03	,, ,,
		246	00	04	,, ,,
		247	00	13	,, ,,
		248	00	19	,, ,,
		249	01	08 3	,, ,,
		250	00	19	मुमानी पु. बिरदा, भूरीलाल पुत्र धारती, 1/2 श्रीनारायण, धन्ना, आनन्दा, नाथू, छोटू, छगनाराम पिता बालू, [illegible] व कानी पि. मु. मानी 1/2 हरि. ब्राह्मण
		252	01	13	
		253	01	11	
		254	00	11	
		255	00	02	
		256	05	09	
		257	00	04	,, ,,
		258	00	04	,, ,,
		259	02	16	,, ,,
		324	04	15	,, ,,

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

279

8.	461/88	201	00	05	भूरा पुत्र प्रभोनाथ हि. 1/3 श्रीनारायण गंगासहाय पिता प्यारेलाल हि. 1/3 रामसहाय बद्री, रूपा, चंदा श्रीकृष्ण पिता प्रभुबक्स हि. 1/3 कौम हरि. ब्राह्मण
		200	0	07	
			00	12	
9.	464/88	334	03	05	कल्याण, भैरु, मुन्नीलाल, रामलाल पिता गोविन्दा सुरेन्द्र पुत्र जीवण हि. 2/9 नानगा पुत्र रुघनाथ रामसहाय पिता लक्ष्मीनारायण हि. 1/6, गणेश पुत्र मोती हि. 1/6 कौम हीरावणी ब्राह्मण
10.	504/88	349/420	25	13	विरेन्द्रसिंह पुत्र बहुरुल सिंह सिन्हा कौम जाट सा. जयपुर
11.	466/88	225	00	16	गल्ला पुत्र भोवाना हि. 1/8 कौम हीरावणी ब्राह्मण
		233	03	16	,, ,,
		234	00	04	,, ,,
		333	02	12	
			07	08	
12.	292/88	186	03	13	नारायण पुत्र भोला पिता रोडू कौम हरि. ब्राह्मण
		187	00	19	
		188	01	04	,, ,,
		188			
		189	00	08	,, ,,
		190	02	19	,, ,,
		348	28	04	,, ,,
			41	06	

1. मुकदमा नम्बर 502/88 खसरा नम्बर 390, 391, 392, 393, :-

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 में ग्राम मानपुर देवली उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 391 रकबा 16 बिघा 15 बिस्वा, 390 रकबा 12 बिघा 16 बिस्वा, 392 रकबा 6 बिघा 30 बिस्वा ख.न. 393 रकबा 2 बिस्वा पांचू, धन्ना, आनन्दा, जगनाथ, छोटू पिता बालू हि. 5/6 काना पिता मु. मोती हि. 1/2, गुमाना पुत्र बिरदा हि. 1/8, भागीरथलाल पुत्र प्यारसी हि. 1/4 कौम हीरावणा ब्राह्मण के नाम खातेदारी में दर्ज है। खातेदारों को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत धारा 9 व 10 के नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार धारा 9 व 10 के नोटिसों को खातेदार के भाई एवं खातेदार के पुत्र गंगाधर शर्मा पुत्र पांचूराम को तामील हुआ है। पांचूराम सहखातेदार है। नोटिस तामील होने के उपरान्त भी कोई हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात दैनिक समाचार पत्रों में भी नोटिसों का प्रकाशन कराया गया। खातेदारों की ओर से आत्माराम शर्मा एडवोकेट उपस्थित होकर काना पुत्र मु. मोती की ओर से उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार आपत्ति उठाते हुए क्लेम पेश किया गया है:-

1. यह कि प्रश्नगत नोटिस लेण्ड एक्वीजीशन एक्ट की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिये गये है तथा प्रथम श्रीमान का यह देखना होगा कि क्या धारा 6 के नोटिस दिये जाने के पश्चात प्रस्तुत नोटिस कालावधि में हैं, यदि नहीं है तो देरी से धारा 9 का नोटिस दिये जाने के कारण जो घोषणा धारा 6 में की जाती है वह अस्तित्व में रहेगी या

नहीं इस प्रश्न का समीचीन उत्तर ए.आई.आर. 1981 गुजरात पृष्ठ सं. 67 पर दिया गया है। उक्त व्यवस्था के अनुसार चूंकि धारा 9 का नोटिस एवं धारा 6 का नोटिस स्वत: ही निरस्त हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में खसरा नम्बर 390 के बारे में दिया गया नोटिस नोटिस अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायोचित नहीं ठहरता है।

2. यह कि अनुच्छेद एक में जो आपत्ति उठाई गई उसको आरक्षित रखते हुए अब भूमि के मुआवजे के क्लेम के सम्बन्ध में आपत्तिकर्ता निम्न प्रकार से निवेदित करता है कि संशोधित धारा 11 व 12 भूमि अवाप्ति के विषय में निम्न बाते महत्वपूर्ण मानी गई है।

(क) यह कि जो मुआवजा दिया जाय वह धारन राशि होनी चाहिए जो यदि विक्रय स्वेच्छा से किया जाता है तो ऐसी विक्रय के आधार बाजार कीमत निर्धारित हो जो समीप के क्षेत्र में लगभग 5लाख रुपये प्रति बीघा है।

(ख) यह कि ऐसे आवश्यक अवाप्ति पर 15 प्रतिशत विशेष मुआवजा देने की व्यवस्था है।

(ग) यह कि लगभग सभी उच्च न्यायालयों की यह व्यवस्था है कि भूमि कीमत निर्धारित करते समय पोटेन्शीयल वेल्यू लगाई जाय।

(घ) यह कि भूमि का सलेक्शन कीमत आदमी को भूमि छिन हो जाने पर सन्तोष का के रूप में दी जाती है इसका भी दिये जाने वाले मुआवजे में विशिष्ट समावेश किया जाय।

(ङ) यह कि आपत्ति करता अपनी भूमि से च्युत (वंचित) डीपराइव्ड होने पर असहाय हो जाता है उसे रोजी रोटी के निमित्त कहीं न कहीं पुर्नवास की व्यवस्था करनी पडेगी इसके निमित्त पुर्नवास सम्बन्धी मुआवजा भी दिया जाय।

(च) यह कि इसके अतिरिक्त कुंआ कुण्ड कोठी होदी मेढ आदि की भी वर्तमान रेटस से कीमत लगाई जाकर वह भी मुआवजे में शामिल की जावे।

(छ) यह कि भूमि वाही है जिसके पेटा काश्तकार जाती हैं जो कृषक की लाखों रुपये सालाना देती हैं। आदि का क्लेम पेश किया है। इस क्लेम की ताईद में कोई ठोस विक्रय सम्बन्धित दस्तावेजात धारा 4(1) की विज्ञप्ति के समय के पेश नहीं किये गये तथा नहीं स्टेक्चर्स एवं कुंआ आदि के तखमीना पेश किया गया है। अत: इनके क्लेम को नहीं माना जाता है।

दिनांक 14-6-91 को दावेदर के वकील अनिल मेहता उपस्थित होकर रिट याचिका 3392/91 की प्रति पेश कर निवेदन किया गया। अवार्ड पारीत करने पर स्थगन आदेश प्रभावी है। अत: अवाप्ति की कार्यवाही रोकी जावे। आर्डर शीट दिनांक 14-6-91 के अनुसार अवार्ड पारीत कर राज्य सरकार को नहीं भेजा गया। इस प्रकार पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय से स्टे आर्डर होने से अवार्ड पारीत नहीं किया गया। तथा अब माननीय उच्च न्यायालय की डीबी. से 116 अपीलों का निर्णय राज्य सरकार के पक्ष होने पर खातेदारों /दावेदारो से न्याय हित में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से क्लेम पेश करने के लिए नोटिस का प्रकाशन कराया गया। लेकिन उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। और नहीं उनकी ओर से क्लेम पेश किया गया। अत: उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

2. मुकदमा नम्बर 467/88 खसरा नम्बर 226 ,227,232,326 :-

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 में ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर

251

226 रकबा 3 बिस्वा,227 रकबा 1 बिस्वा,232 रकबा 1 बिस्वा,326 रकबा 1 बिस्वा कुल रकबा 6 बिस्वा गुल्ला पुत्र भुवाना हि. 1/2 छीतर सोनू हॉन्या, पिता मोहन हि. 1/2 हीरयाणा ब्राह्मण के नाम खातेदारी में दर्ज है । खातेदारों को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये ।तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारों द्वारा नोटिस लेने से मना करने पर दो गवाहो के सामने चस्पांदगी द्वारा नोटिसों को तामील कराया गया । इसके बाद मे धारा 9 9 व 10 के नोटिस को रजिस्टर्ड द्वारा भी छोडी भेजे गये । डाक रिपोर्ट के अनुसार प्राप्तकर्ता लेने से मना करने की रिपोर्ट के साथ नोटिस वापिस प्राप्त हो गया । खातेदारों / दावेदारों के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । इसके पश्चात दैनिक समाचार पत्रों मे भी नोटिसों का प्रकाशन कराया गया ।लेकिन इसके पश्चात भी खातेदार /दावेदार उपस्थित नही हुए । दिनांक 12-6-91 को अनिल महता एडवोकेट ने एक प्रार्थना पत्र के साथ रिट याचिका नम्बर 337/91 के स्टागन की फोटो स्टेट प्रति पेश की । स्टागन के अनुसार कब्जा व अवार्ड पर प्रभावी होने पर पूर्व में अवार्ड जारी नही किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय से डी.बी. मे विचाराधीन विचाराधीन 116 अपीलो का निर्णय होने पर न्याय की दृष्टि मे कम एक बार खातेदार /दावेदारों को क्लेम आदि पेश करने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया । इसके पश्चात भी कोई भी खातेदार या उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित होकर क्लेम पेश नही किया गया । अत: उपस्थित नही होने एवं क्लेम पेश नही करने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

3. 456/88 खसरा नम्बर 173, 174,215,216,217,218

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 में ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 2 बिस्वा, 174 रकबा 4बीघा 6 बिस्वा, 215 रकबा 2 बिस्वा 216 रकबा 2बीघा 16 बिस्वा, 217 रकबा 2बीघा 4 बिस्वा, 218 रकबा 4बीघा [illegible] शनारायण,गंगासहाय, पिता ग्यारसा कोम हीरयाणा ब्राह्मण के नाम खातेदारी में दर्ज है । खातेदार को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9व 10 के तहत नोटिस जारी किये गये । तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस रामपाल पुत्र भोगीलाल को तामील करवा या गया है । खातेदारों की ओर कोई भी उपस्थित नही हुए । इस पर खातेदारों को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । रजिस्टर्ड नोटिस की तामिल की रसीद प्राप्त हो गई है । खातेदारों को ने नोटिस को प्राप्त कर लिया । इसके उपरान्त भी उपस्थित नही हुए । उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । इसके पश्चात दैनिक समाचार पत्रों मे भी नोटिसों का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए । इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । प्रार्थी गंगासहाय की ओर से दिनांक 9-5-91 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही को मंसूख

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजना
जयपुर

जिसके जोन बाबत एवं आगे कन्टेस्ट करना चाहता है। तथा क्लेम प्रस्तुत करना चाहता है की बाबत पेश कि गई। इसके पश्चात खातेदारों की ओर न तो क्लेम पेश किया एवं नाही उपस्थित हुए। दिनांक 12-6-91 को अनिल मेहता एडवोकेट उपस्थित हो कर रिट याचिका नम्बर 3374/91 बाबत स्थगन आदेश अवार्ड पारीत करने एवं कब्जा न लेने बाबत प्रस्तुत पेश की जो पत्रावली में शामिल है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पूर्व भूमि का अवार्ड पारीत नही किया गया। अब माननीय उच्च न्यायालय से डी.बी. में विचाराधीन 116 अपीलो का निर्णय राज्य सरकार/जविप्रा के पक्ष में हो गया है। न्याय हित मे खातेदारों को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से क्लेम मांगने हेतु नोटिस का प्रकाशन कराया गया। उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नही हुए एवं नही उनकी ओर से क्लेम पेश किया गया। अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

4. मुकदमा नम्बर 478/88 खसरा नम्बर 251 रकबा 2 बिस्वा

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31/7/1989 में ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 251 रकबा 2 बिस्वा गुमाना पुत्र बिरदा, भूरीलालपुत्र धासी 1/6 श्यो नारायण, धन्ना, आनन्दा, बैदू छीतू, रामनारायण पुत्र बालू, कालू पुत्र तुलछा, गणेशी बेवा तुलछा व काना पि. कु. मानी 1/2 कौम हरियाणा ब्राह्मण के नाम खातेदारी में दर्ज है। खातेदारों को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारों द्वारा नोटिस लेने से मना करने पर दो गवाहों के सामने नोटिसों को मौके पर चस्पान्दगी द्वारा नोटिस को तामील कराया गया। खातेदारों की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने पर उनको रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। डाक तामील करता की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारों नोटिस लेने से मना करने पर की रिपोर्ट के साथ वापिस प्राप्त हो गया। फिर भी खातेदारों की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुए। इसके उपरान्त दैनिक समाचार पत्रों के द्वारा भी धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। खातेदारो की ओर से सत्यदेव शर्मा एडवोकेट उपस्थित होकर क्लेम पेश किया। क्लेम खसरा नम्बर 251 रकबा 2 बिस्वा 450000.00 का क्लेम में भूमि का मूल्य बाजार दर के हिसाब से 4,50,000.00 के हिसाब से 2 बिस्वा भूमि का मूल्य 90000.00 रुपये हो है जिसके निम्नलिखित आधार है :-

(क) भूमि का बाजार मूल्य 4,00,000/- प्रति बीघा कई वर्षों पहले भूमि विक्रय को आकर विक्रय पत्रों का जो पंजीकरण कराया गया (ख) इसका बाजार मूल्य 4,00,000/- रु. प्रति बीघा आता है व सिंचित भूमि का मूल्य 4,50,000.00 प्रति बीघा आता है।

(ग) भूमि पर जो फसल खड़ी उगाई जाती है पिछले तीन वर्षों का औसत लिया जाए तो भूमि का मूल्य लगभग 5,00,000.00 प्रति बीघा आता है।

(घ) पास ही में आवासन मण्डल की योजना में लगभग दो माह पूर्व खुली बोली द्वारा भूमि का विक्रय किया गया है और वहाँ की खुली बोली 1100.00 [illegible] प्रति

भू अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास जयपुर

से 1300 वर्ग गज प्रतिवर्ग के हिसाब से रही । ऐसी स्थिति में यदि उक्त भूमि का मूल्यांकन इस दर से किया जाए तो सम्पूर्ण भूमि का 1/3 भूमि सुविधा और सड़कों के लिए छोड़ी जाए तथा 50/- प्रति वर्ग विकास शुल्क, भान्तरण आदि का शुल्क निकाल दिया जाए तो भूमि का मूल्य लगभग 7,00,000.00 रुपये प्रति आता है।

(9) यह कि भूमि पर कुए, उनमें बोरिंग बिजली के पम्प स्थायी रूप से लगाई गई पाइप लाइने, नलकूपों के संचालन हेतु बनाये गये कोठा आदि का मूल्य 2,11,000.00

(10) यह कि भूमि पर फलदार तथा बिना फलदार दर ख्त लगे हुए हैं तथा कुएँ के स्थान पोधे हैं जिनका मूल्य 500/- की मांग की है।

12. यह कि उक्त सम्पूर्ण देय राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज उसी दिन से दिलाया जावे जिस दिन धारा 5वें विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है थी।

13. यह कि उक्त अवाप्त की जा रही भूमि के लिए कुल मांग राशि निम्न प्रकार से है :-

1. चरण क्रमांक 2 के अनुसार		90000.00
2. चरण क्रमांक 3 के अनुसार		211000.00
3. चरण क्रमांक 4 के अनुसार		500.00
4. चरण क्रमांक 5 के अनुसार		60320.00
5. चरण क्रमांक 6 के अनुसार		
6. चरण 9 के अनुसार	20./.	90470.00
7. चरण क्रमांक 10 के अनुसार	30./.	30150.00
8 चरण क्रमांक 11 के अनुसार	10./.	

कुल योग:- 482440.00

उपरोक्त क्लेम की ताईद में खातेदारों द्वारा कोई ठोस बाजार दर बाबत दस्तावेजात पेश किये गये। क्लेम के साथ धारा 4 के समय की कृषि भूमि की बाजार दर बाबत कोई विक्रय पत्र आदि भी पेश नहीं किये गये हैं। अतः इन आधारों के अनुसार क्लेम खातेदारों द्वारा काफी बढ़ा चढ़ा प्रस्तुत किया गया। जो यह क्लेम आधार हीन होने से मान्य नहीं है।

श्री अनिल मुहता एडवोकेट दिनांक 13-6-91 को इस कार्यालय में उपस्थित होकर रिट याचिका नम्बर 3392/91 के स्थगन आदेश की फोटो प्रति पेश की है। स्थगन आदेश के अनुसार अवार्ड पारित करने बाबत एवं कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश प्रभावी होते हैं। स्थगन आदेश होने से पूर्व अवार्ड पारित नहीं किया गया। अब माननीय उच्च न्यायालय से कोर्ट, मैं विचाराधीन अपीलों का निर्णय राज्य सरकार /जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में निर्णय होने पर न्याय हित में एक बार फिर से खातेदारों को सूचना दैनिक समाचार पत्रों के द्वारा प्रकाशित करायी गई। खातेदारों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश अमल में लाये गये।

5. मुकदमा नम्बर 400/88 खसरा नम्बर 315, 316, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417 :-

284

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान सरकार पत्र दिनांक 31-7-1989 में ग्राम मानपुर देवली उर्फ गोल्याबास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 315,316,410,411,412,413,414,415,416,417 श्रीनारायण गंगासहाय पिता ग्यारसा 1/2धन्दा ,रामसुख पिता श्योबक्श 1/2 हीरयाणा ब्राह्मण के नाम खातेदारी में दर्ज है। खातेदारो * हितधारों को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9व 10 के तहत नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारो के भाईयों को नोटिस की चस्पा तामील करवाई गई। खातेदारों के उपस्थित नही होने पर धारा 9 10 के नोटिस रजिस्टर्ड भेजे गये। डाक से प्राप्त रसीद के अनुसार धन्दा पुत्र श्योबक्स ,बगैरा के नोटिसों श्रीकिशन,भोलूराम के द्वारा प्राप्त किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त भी खातेदारों की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुए। तब उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। एवं अखबार मे भी इसका प्रकाशन कराया गया। दिनांक 9-5 को * खातेदार गंगासहाय की ओर से जगदीश नारायण शर्मा एडवोकेट उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र के साथ वकालत नामा भी पेश किया। प्रार्थना पत्र के अनुसार वकील दावेदार ने अवगत कराया है कि उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। उसे मंसूख फरमाई जावे। तथा प्रार्थी को सुनवाई का मौका चाहा गया। खातेदार के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही मंसूख की गई तथा क्लेम पेश करने का मौका दिया गया। लेकिन फिर खातेदारों की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुए। अत: दिनांक 25-5-91 को फिर से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 12-6-91 को अनिल मेहता एडवोकेट उपस्थित होकर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश की फोटो प्रति पेश की गई। स्थगन आदेश के अनुसार रिट याचिका नम्बर 3374/91 से अवार्ड पारीत करने एवं कब्जा न लेने बाबत माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्रभावी है। पूर्व इस मामेले में स्थगन आदेश होने से इस प्रकरण से सम्बन्धित भूमि खसरा नम्बरान का अवार्ड जारी नही किया गया। अब माननीय उच्च न्यायालय से डी.बी. में विचाराधीन 116 अपीलो का निर्णय राज्य सरकार/जविप्रा के पक्ष मे हो गया है। अत: न्याय कीदृष्टि से खातेदारों / हितधारों को दैनिक समाचार पत्रों के द्वारा क्लेम पेश करने हेतु नोटिसों का प्रकाशन कराया गया। लेकिन खातेदारोंर दावेदारों की ओर से न तो क्लेम पेश किया एवं नही उनकी ओर से कोई उपस्थित हुआ। अत: उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

6. मुकदमा नम्बर 460/88 खसरा नम्बर 197,199,200

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान रा पत्र दिनांक 31-7-1989 में ग्राम मानपुर देवली उर्फ गोल्याबास तहसील सांगानेर की भूमि खा॰ 197 रकबा 0बिस्वा,199 रकबा 1बिघा 3 बिस्वा,200 रकबा 2बिघा 3 बिस्वा श्रीनारायण गंगासहाय पिता ग्यारसा 1/2मु॰ दाखा बेवा गुल्ला हि॰ 1/2 कौम हीरयाणा ब्राह्मण सा दे के नाम खातेदारी में दर्ज है। खातेदारों को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार मौके पर नही मिले तथा उनका भतीजा रामपाल पुत्र मांगीलाल मिला जिसे नोटिस तामील कराया गया। उपस्थित नही होने पर रजिस्टर्ड नोटिस डाक द्वारा भेजे गये। जिसकी रसीद प्राप्त हो गई है। रसीद के अनुसार भोलूराम ने नोटिस प्राप्त किये गये। तथा दैनिक

भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास योजनाएं जयपुर

स

समाचार पत्रों में भी नोटिसों का प्रकाशन कराया गया । इसके उपरान्त भी उनकी ओर से कोई भी हितधारी/खातेदार उपस्थित नहीं हुए । अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । इसके पश्चात दिनांक 7-5-91 को गंगासहाय की ओर से उनके वकील जगदीश नारायण शर्मा वकालत नामा के साथ एक दरख्वास्त पेश कर निवेदन किया कि उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही हो चुकी है । अतः उसे मंसूख की जावे । उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही को मंसूख की गई तथा क्लेम पेश करने का एक अन्तिम मौका दिया गया । इसके पश्चात दिनांक 25-5-91 को उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही फिर से अमल में लाई गई । दिनांक 12-6-91 को अनिल मेहता एडवोकेट उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय से रिट याचिका नम्बर 3374/91 के द्वारा स्थगन आदेश के अनुसार अवार्ड पारित न करने एवं भूमि का कब्जा लेने बाबत स्थगन आदेश प्रभावी होने से पूर्व में अवार्ड जारी नहीं किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन डी.बी. में 18 अपीलों का निर्णय राज्य सरकार/न्यास के हित में हो गया है । अतः खातेदारान/हितधारान को क्लेम पेश करने के न्यायहित में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना का प्रकाशन कराया गया । लेकिन उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः उनके खिलाफ फिर से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

7. मुकदमा नम्बर 285/88 खसरा नम्बर 71,244,245,246,247,248,249,250,252,253, 254,255,256,257,258,259,324

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 में ग्राम मानपुर देवली उर्फ गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 71, रकबा 2 बीघा 18, 244, 15 बिस्वा 245 रकबा 3 बिस्वा, 246 रकबा 4 बिस्वा, 247 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा 248 रकबा 19 बिस्वा, 250 रकबा 19 बिस्वा 249 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 252 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 253 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 254 रकबा 11 बिस्वा, 255 रकबा 2 बिस्वा 256 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा 257 रकबा 4 बिस्वा, 258 रकबा 4 बिस्वा, 259 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, 324 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी गुमाना पुत्र बिरदा भौरीलाल पुत्र घासीलाल, हीरया बृजमोहन नाबालिक संरक्षक माता गुलाब देवी बेवा घासी लाल व हीरयावास के नाम खातेदारी में दर्ज है । खातेदारों को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये । तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारों द्वारा नोटिस लेने से मना करने मौके पर दो गवाहों के सामने चस्पादगी द्वारा नोटिस को तामिल करवाया गया । तथा रजिस्टर्ड नोटिस भी जारी किये गये । डाकिया की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारों/प्राप्तकर्ता द्वारा नोटिस लेने से मना करने पर नोटिस वापिस प्राप्त हो गया है । अधिनियम की धारा 9 व 10 के तहत नोटिसों का दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया व दिनांक 9-5-91 को खातेदारों [गुमाना पुत्र बिरदा भौरीलाल पुत्र] की ओर से जगदीश नारायण शर्मा एडवोकेट उपस्थित होकर वकालत नामा पेश कर क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया । जिन्हें क्लेम पेश करने के लिए समय दिया गया । अन्य खातेदारों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

256

पेज4

गये हैं। तथा दिनांक 28-5-91 को सत्यदेव शर्मा एडवोकेट उपस्थित होकर छोटू की ओर से वकालत नामा पेश किया। क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया। क्लेम पेश करने के लिए अन्तिम अवसर दिया गया। लेकिन खातेदार छोटू की ओर से क्लेम पेश नहीं किया गया रिट याचिका नम्बर 3392/91 के तहत माननीय उच्च न्यायालय ने अवार्ड पारित न करने एवं कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश दिया गया था। अत: पूर्व में इन खसरा नम्बरों का अवार्ड पारित नहीं किया गया। अब माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन डी.बी. में 136 अपीलों का निर्णय राज्यसरकार / जयपुर विकास प्राधिकरण के हित में हो गया है। अत: न्याय हित में खातेदारों को क्लेम पेश करने के लिए दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिसों का प्रकाशन कराया गया। लेकिन उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से एवं क्लेम पेश नहीं करने पर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

8. मुकदमा नम्बर 461/88 खसरा नम्बर 281,288

- -

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 में ग्राम मानपुर देवरी उर्फ महरु गोल्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 281 रकबा 5 बिस्वा, 288 रकबा 7 बिस्वा भूरा पुत्र श्योनाथ हि. 1/3, श्रीनारायण, गंगासहाय पिता ग्यारसा हि. 1/3, रामसुखा, बद्री, छगा, हेन्दा, श्रीकृष्ण पिता प्रभूबक्स हि. 1/3 कोम हरियाणा ब्राह्मण के नाम खातेदारी में दर्ज हैं। खातेदारों को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये। तथा रजिस्टर्ड नोटिस भी जारी किये गये। खातेदारों ने रजिस्टर्ड नोटिस धारा 9 व 10 को प्राप्त कर लिया गया। श्रीनारायण की ओर से उनका एडवोकेट जगदीश प्रसाद शर्मा उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया तथा क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया। अन्य खातेदारों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 12-6-91 को अनिल मेहता एडवोकेट उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र के साथ रिट याचिका नम्बर 3374/91 के स्थगन आदेश की फोटो प्रति पेश की गई। माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश अवार्ड पारित करने एवं कब्जा न लेने बाबत प्रभावी होने से पूर्व में अवार्ड पारित नहीं किया गया। अब माननीय उच्च न्यायालय से डी.बी. में विचाराधीन अपीलों का निर्णय राज्य सरकार/ जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में हो गया है। अत: न्याय हित में खातेदारों/ दावेदारों को क्लेम पेश करने के लिए दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिसों का प्रकाशन कराया गया। उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए एवं ना ही क्लेम पेश किया गया है। अत: उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश अमल में लाये गये।

9. मुकदमा नम्बर 464/88 खसरा नम्बर 334

- -

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 में ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 334 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कल्याण, भोले, चुन्नीलाल, रामलाल, पिता गोविन्दा सुरेन्द्र पुत्र जीवन हि. 2/9, बालू, हीरालाल पिता हीरा हि. 2/9 नानगा रामनारायण पिता लक्ष्मीनारायण हि. 1/6 गणेश पुत्र मोती हि. 1/6 कोम हरियाणा ब्राह्मण की खातेदारी में दर्ज है। खातेदारों को धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की तहरीरी रिपोर्ट के अनुसार नोटिसों को मौके पर दो गवाहों के सामने चस्पा करके द्वारा

तामील कराया गया । रजिस्टर्ड नोटिस भी जारी किया गया । डाकिया कि रिपोर्ट के के अनुसार प्राप्तकर्ता द्वारा नोटिस लेने से मना करने पर वापिस भेज दिया गया । धारा 9व 10 के अन्तर्गत नोटिसों को दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया गया । तदुपरान्त ~~[illegible]~~ । ~~[illegible]~~ खसरा नम्बर 334 की बाबत मोहनलाल शर्मा द्वारा दिनांक 15-6-96 को क्लेम पेश किया क्लेम ~~[illegible]~~ मे दावेदार ने बाजार कीमत पर किये गए आवश्यक विकास व भावी कीमत ध्यान मे रखते हुए केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत समस्त लाभ देते हुए उचित मुआवजा दिलाया जावे ।

[ए.] यह कि उपरोक्त राशि के अलावा प्रार्थी मुआवजा राशि के भुगतान के समय प्रचलित होने वाला राशि के अनुसार मुआवजा व बाजार कीमत पर ब्याज राशि 12प्रतिशत सैकड़ा वार्षिक मुआवजा दिये जाने तक की तिथि का प्राप्त करने का अधिकारी है । प्रार्थी धारा 23[1]केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अनुसार उपरोक्त सम्पूर्ण राशि पर 30% की दर से सोलेशियम प्राप्त करने का भी अधिकारी है ।

[बी] यह कि प्रार्थी की जीविका का मात्र साधन वर्तमान नर्सरी है प्रार्थी का पूरा परिवार उस पर निर्भर है ।

[सी] यह कि मात्र दो दिन का जो समय आपत्ति व क्लेम का दिया गया है वह इतना कम समय है कि प्रार्थी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे आपके समक्ष उठा नहीं कर पा रहा है । प्रार्थी आशा करता है कि उसे व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया जावेगा ।

[डी] यह कि प्रार्थी उससे दुखित होकर आगे सर्वोच्च न्यायालय /उच्च न्यायालय में कार्यवाही करने का इरादा रखता है इस कारण यह क्लेम प्रार्थीगण के उक्त अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए पेश किया जा रहा है ।

[ई] यह कि उपरोक्त क्लेम प्रार्थी अवाप्ति को चुनौती देने के अपने उपरोक्त अधिकारी को सुरक्षित रखते हुए पेश कर रहा है ।

[एफ] यह कि आवेदकगण अपने क्लेम में पक्ष में दस्तावेजात एवं मौखिक गवाह प्रस्तुत करेगा जिसका उन्हें उचित समय दिया जाना न्यायहित मे आवश्यक है ।

अपने क्लेम में यह भी अंकित किया गया है कि ग्राम गोल्यावास की भूमि खसरा नम्बर 334 ,की भूमि को मे गणेश पुत्र मोती ने अपना समस्त हिस्सा बेच दिया गया है । अतः मुआवजे राशि का भुगतान के समय स्वामित्व स म्बन्धित दस्तावेजात प्राप्त कर भुगतान किया जावेगा । चूंकि दावेदार द्वारा क्लेम के ताईद में कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये गये तथा नाहीं बाजार दर की बाबत की धारा 4[1] के समय के विक्रय पत्र आदि पेश किये गये । खातेदार/दावेदार ने भी बाजार दर की ही मांग की है । तथा अन्य खातेदारों/ दावेदारों की ओर से न तो क्लेम पेश किया गया एवं नहीं उपस्थित हुए हैं । अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

18. मुकदमा नम्बर 564/88 खसरा नम्बर 349/428

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राजपत्र दिनांक 31-7-1989 में ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 349/428 रकबा 25 बिस्वा 13 बिस्वा विरेन्द्र सिंह पुत्र बहुल सिंह सिन्हा कोम जाट सा. जयपुर के नाम खातेदारी में दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10

की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये । तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार स्वयं ने नोटिस को प्राप्त किया गया । सोसायटी मन्त्री जनता गृह निर्माण सहकारी समिति ने स्वयं ने नोटिस को प्राप्त किया है । सत्य देव शर्मा एडवोकेट उपस्थित होकर जाहिर किया गया कि उन्हे क्लेम पेश करने के लिए समय दिया जावे । क्लेम पेश करने के लिए दिया गया तथा दिनांक 5-6-91 को एक प्रार्थनापत्र सोसायटी के अभिभाषक ने पेश की प्रार्थनापत्र के अनुसार उन्होंने जाहिर किया की उन्हें धारा 9 का नोटिस प्राप्त हुआ । प्रार्थी को धारा 6 के तहत जमीन की माप व उसके प्लान तथा सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराई जावे, ताकि प्रार्थी नियमानुसार क्लेम मय आपत्तियाँ पेश कर सके । सोसायटी के अभिभाषक ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश हो गया है । माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 5-6-91 के आदेश की फोटो प्रति रिट याचिका नम्बर 1370/91 के साथ पेश की । माननीय उच्च न्यायालय ने अवार्ड पारीत न करने एवं कब्जा न लेने बाबत स्थगन आदेश जारी किये गये । इसलिए पूर्व में इस भूमि का अवार्ड पारीत नही किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय से डी.बी. में विचाराधीन 16 अपीलो का निर्णय राज्य सरकार / जयपुर विकास प्राधिकरण के हित में हो जाने पर न्याय हित में खातेदारान / हितधारान को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से क्लेम पेश करने के लिए नोटिसो का प्रकाशन कराया गया । दावेदारान सोसायटी के संयोजक मनोहरलाल अग्रवाल द्वारा दिनांक 18-6-96 को उपस्थित होकर क्लेम, भूमि पर स्थित स्टेक्चर्स, पेड़, पौधे आदि का तखमीना बाबत पेश किया गया । सोसायटी की ओर से अग्रलिखित आपत्तियों के साथ निम्न प्रकार से क्लेम पेश किया गया है :-

यह कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि के समीप वाली भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ कम से कम 1025/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से भूमि का आवंटन करने की दर निश्चित की है । जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नियमानुसार उक्त भूमि के आस पास की भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु काम लेने पर 25/- रु. प्रति वर्ग गज विकास शुल्क लेना तय किया गया है । इसके साथ ही कुल भूमि का 60 % भाग प्रयोग में लेने का प्रावधान है ।

इस प्रकार भूमि की कीमत निम्न प्रकार तय होगी जो न्यूनतम है :-

प्रति वर्ग गज न्यूनतम दर	1025/- प्रति वर्गगज
विकास शुल्क कम करने पर	25/- प्रति वर्ग गज
	1000.00

उपरोक्त प्रकार प्रति बीघा न्यूनतम 60 % भाग काम में लेने पर 1815 व.ग. भूमि दर 1000/- रुपये प्रति वर्ग गज कुल भूमि 25 बीघा 13 बिस्वा x3025 = 77575 वर्ग गज होती है ।

घटाओ -40 प्रतिशत सड़क एवं विभिन्न सुविधाओं को घटाने के पश्चात 46545व.ग. इस प्रकार [illegible] सड़क एवं [illegible] सुविधाओं में घटाने आवेदकगण उक्त भूमि की निम्न प्रकार कीमत पाने के अधिकारी है :-

1. भूमि की कीमत	46545000.00
2. भूमि पर स्थित निर्माण का बाजार मूल्य	1,00,00000.00
3. योजना में पानी की पाइप लाईन अण्डर ग्राउण्ड	5.00.000.00
4. योजना में हौदियों की कीमत	1,00,000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
जयपुर विकास योजनायें
जयपुर

 257

5. योजना में धोरे की कीमत	x x
6. योजना में डामटी की कीमत	10,000.00
7. होदी की कीमत	1,00,000.00
8. रेनहिल्स की पट्टी की कीमत	x x
9. पेड़ों की कीमत	500000.00
10. छोटे कुएं की कीमत	1,00,000.00
11. विद्युतीकरण एवं फिटिंग व्ययकी कीमत	1,00,000.00
12. डब्ल्यू.बी.एम.सड़कों की कीमत	2.00.000.00
13. चौकीदार का कमरा (झोपड़ा) की कीमत	50.000.00
14. कुए की कीमत	10.000.00
15. पम्पसेट व मोटर,	50,000.00
16. कुए में पाइप लाईन व फिटिंग	10.000.00
10.	
मुआवजे के रूप में कुल कीमत	5,83,75,000.00

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त निम्न राशि और देय है :-

1. यह कि प्रार्थीगण केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के अन्तर्गत धारा 23(1) के अनुसार 7 जुलाई 1988 से अवार्ड की तिथि तक 12./. वार्षिक दर से कुल मुआवजा राशि पर अतिरिक्त राशि पाने के अधिकारी हैं।

2. यह कि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(2) के अन्तर्गत कुल मुआवजा राशि पर 30./. अनिवार्य अवाप्ति चार्ज पाने के अधिकारी हैं तथा अवार्ड के पश्चात केन्द्रीय भूमि अवाप्ति की धारा 34 के अनुसार 9./. वार्षिक दर से एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात 15./. ब्याज भुगतान की तिथि तक पाने के अधिकारी हैं।

3. इस अवाप्ति से हो रहे नुकसान के बेटे कुल मुआवजा राशि के 10./. और अतिरिक्त राशि दिलवाई जावे।

4. मानसिक तनाव से हुई हानि की कीमत कुल मुआवजा राशि 10/.. अतिरिक्त दिलवाय जावे।

5. काश्तकारों के अन्य स्थान पर परिवर्तन के कारण आय में कमी का प्रतिमाह 1000/- रु. प्रति व्यक्ति दिलवाया जावे।

6. पोटेन्शीयल वेल्यू होने के कारण कुल मुआवजा राशि का 20./. अतिरिक्त दिलवाया जावे।

7. धारा 5 के अन्तर्गत खातेदारान को हुआ नुकसान कुल मुआवजा राशि का 10./. दिलवाया जावे।

8. स्थाई एवं अस्थाई सम्पत्ति के नुकसान के फलस्वरूप में होने वाले नुकसान की राशि कुल मुआवजे का 10./. राशि दिलवाई जावे।

9. धारा 6 की विज्ञप्ति दिनांक 25 जुलाई 89 से एवं कब्जा प्राप्त करने दिनांक तक भूमि पर होने वाला लाभ की राशि 5 गुणा कीमत व 24./. ब्याज दिलवाया जावे।

10. संयुक्त परिवार प्रणाली में विघटन होने के कारण होने वाले नुकसान पूर्ति हेतु मुआवजा राशि का 5./. अतिरिक्त दिलवाया जावे।

11. बच्चों को अन्यत्र पढ़ाने से उनको होने वाले नुकसान पूर्ति हेतु मुआवजा राशि का 5./. अतिरिक्त दिलवाया जावे।

12. मवेशियों को अन्यत्र स्थापित करने पर होने वाले नुकसान हेतु 10./. अतिरिक्त राशि दिलवाई जावे।

13. सामाजिक व अन्य स्तर गिरावट से होने वाले नुकसान हेतु 10./. अतिरिक्त दिलवाया जावे।

14. नई जगह पर स्थापित होने पर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने पर होने वाले नुकसान हेतु 10./. अतिरिक्त दिलवाया जावे।

15. अन्यत्र स्थान पर भूमि खरीदने पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन व खोज व दिखावट व्यय कुल मुआवजा राशि का 10./. अतिरिक्त दिलवाया जावे।

क्लेम के साथ प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 29 दिसम्बर 1988 एवं विक्रय पत्र दिनांक 22 मार्च 1988 की फोटो प्रतियाँ पेश की गई हैं । क्लेम की ताईद में बाजार दर की बाबत कोई आधार नहीं है जो नोटिफिकेशन के समय को पेश नहीं की गई तथा नहीं पेड़, पौधे एवं स्ट्रक्चर्स का तखमीना तकनीकी रूप से तैयार करवा कर पेश नहीं किया गया । अतः स्वत्व तथा दावेदार सोसायटी द्वारा विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण हुआ या नहीं हुआ के बाबत कुछ भी नहीं बताया गया । क्लेम बहुत बढ़ा चढ़ा कर एवं मनगढ़न्त से बताया गया है । यह क्लेम आधार हीन होने से नहीं माना जाता है । जहाँ तक प्रश्न स्ट्रक्चर्स के मुआवजे का है । तकनीकी रूप से तैयार नहीं होने से स्ट्रक्चर्स का मुआवजा भी अधिक बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है जो मान्य नहीं है । स्ट्रक्चर्स का मुआवजा मुताबिक तखमीना प्रक्रिया के तहत जारी किया जायेगा । क्लेम के साथ नामान्तरकरण की सत्यापित प्रति एवं रसीदी चालान की फोटो प्रति भी पेश की है ।

11. मुकदमा नम्बर 466/88 खसरा नम्बर 225, 233, 234, 333

- -

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान विशेष गजट दिनांक 31/7/1987 में ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर की भूमि ~~मुल्ला पुत्र भुवाना कोम हरियाणा ब्राहमण~~ xxx खसरा नम्बर 225 रकबा 16 बि 233 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 234 रकबा 4 बिस्वा, 333 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा मुल्ला पुत्र भुवाना कोम हरियाणा ब्राहमण के नाम खातेदारी में दर्ज है । खातेदारों को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये । तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर खातेदार नहीं मिला खातेदार के भाई को नोटिस तामिल करवाया गया । खातेदार को रजिस्टर्ड नोटिस भी जारी किया गया । साथ दैनिक समाचार पत्रों में भी नोटिस का प्रकाशन कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदार की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए । उनके उपस्थित नहीं होने एवं क्लेम पेश नहीं करने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाया गया । दिनांक 9-5-91 को खातेदार की ओर जगदीश नारायण शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए । वकील दावेदार ने एक प्रार्थनापत्र के साथ वकालत नामा भी पेश किया एवं क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया तथा एक तरफा कार्यवाही को मन्सूख करने हेतु पेश की । खातेदार को क्लेम पेश करने के लिए एक अन्तिम मौका दिया गया । दूसरी पेशी दिनांक 25-5-91 को खातेदार की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से क्लेम पेश किया गया । उपस्थित नहीं होने पर एवं क्लेम पेश नहीं करने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । दिनांक 12-6-91 को अनिल मेहता एडवोकेट उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय से हुए स्थगन आदेश की फोटो प्रति पेश की । रिट याचिका नम्बर 3371/91 के द्वारा अवार्ड पारित न करने एवं कब्जा न लेने बाबत स्थगन होने से पूर्व में इस भूमि का अवार्ड पारित नहीं किया गया । अब माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन डी.बी.सी. 111 विशेष अपीलों का निर्णय राज्य सरकार /जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पक्ष में हो गया । न्यायहित में क्लेम पेश करने के लिए खातेदार को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना का प्रकाशन कराया गया । इसके उपरान्त भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

12. मुकदमा नम्बर 292/88 — खसरा नम्बर 186, 187, 188, 189, 198, 348

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के राजस्थान राजस्थान राज पत्र दिनांक 31-7-1989 में ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर की भूमि खसरा नम्बर 186 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 187 रकबा 19 बिस्वा, 188 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 189 रकबा 6 बिस्वा, 198 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा 348 रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा नारायण गणेश पिता रोडू कोम हरियाणा ब्राह्मण के नाम खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार नोटिस गोपाललाल पुत्र नारायण को तामिल कराया गया। इसके पश्चात रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। डाक घर की रिपोर्ट के अनुसार प्राप्तकर्ता लेने से मना करने से रिफ्यूज किया। नोटिस वापिस प्राप्त हो गया। खातेदारों के उपस्थित नहीं होने के कारण दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी नोटिस धारा 9व 10 के अन्तर्गत प्रकाशन कराया गया। अनिल मेहता एडवोकेट ने दिनांक 26-4-91 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया तथा गणेश पुत्र रोडू व नारायण पुत्र रोडू की ओर से क्लेम पेश करने के लिए समय चाहा गया। जोधपुर के अभिभाषक दरखवास्त का लिखित में जवाब नहीं देना चाहते हैं। बहस करना चाहते हैं। दिनांक 25-5-91 को दरखवास्त दिनांक 26-4-91 पर बहस सुनी गई तथा दरखवास्त खारिज की गई व वकील दावेदार को क्लेम पेश करने के लिए लिए समय दिया गया। वकील दावेदार ने दिनांक 1-6-91 को क्लेम पेश किया आपत्तियों के साथ पेश किया गया। प्रार्थीयो का क्लेम निम्न प्रकार से पेश किया है :-

(क) यह कि प्रार्थी की जमीन मुख्य सड़क न्यू सांगानेर रोड पर स्थित है जिसके सामने रिको का वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है तथा प्रार्थी की जमीन के पास ही राजस्थान आवासन मण्डल की मान सरोवर कालोनी स्थित है। यहाँ यह बताना भी उचित होगा कि मानसरोवर कोलोनी में जुलाई 1989 में हुए निलामी में जमीन 1000/- प्रति वर्ग गज के हिसाब से नीलामी हुई है। प्रार्थी की जमीन न्यू सांगानेर रोड पर है। का भाव किसी भी दशा में 45 लाख रुपये प्रति बीघा से कम नहीं है। चूंकि अवाप्ति का प्रयोजन आवासीय/वाणिज्यिक है। अत: प्रार्थी कम से कम 18 लाख रु. प्रति बीघा के हिसाब से अवार्ड राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रार्थी की कुल जमीन 41 बीघा 6 बिस्वा जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	कुल रकबा बीघा	कुल रकबा बिस्वा
सांगानेर	मानपुरदेवरी	87	04	01
	उर्फ गोल्यावास	186	03	13
		187	00	19
		188	01	01
		189	00	06
		198	02	19
		348	28	04
			41	06

प्रार्थी की जमीन में कुए मय बिजली मोटर, ड्रिप सिस्टम सहित सम्मिलित

भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास योजना जयपुर

292

है। इस प्रकार प्रार्थी की कुल जमीन 41 बीघा 6 बिस्वा का क्लेम निम्न प्रकार है :-

1. भूमि 41 बिघा 6 बिस्वा दर 45 लाख प्रति बीघा से	185700,000.00
2. चार कुए आरसीसी का 100 फुट गहरे व 6 इन्च व्यास का कीमती 137 फुट 4000/- दर्मा	5,92,000.00
3. बिजली की मोटर मय स्टार्टर प्रति मोटर कीमत 10,000.00	40,000.00
4. कुए के अन्दर 6 इन्च का बोरिंग 150 फुट गहरा कुल मूल्य मय लगाई के 150 रुपये प्रति फुट के हिसाब से 8 कुओं का 150/-प्रति	90,000.00
5. 6इन्च बोरिंग मे ढाई इन्च का पाईप वाटर लेबल तक 35 फुट की जिसकी कीमत 40/- प्रति फुट के हिसाब से 15/- फुट लेबर चार्ज	7700.00
6. दो इन्च का पाईप मोटर से बाहर पानी फेंकने के लिए 110 फुट 30/- प्रति फुट के हिसाब से	17,600.00
7. चटाल की मत 80×4	320.00
8. कुए मे लोकी छोटतीही 100 फुट 25/- प्रति फुट से	10.000.00
9. चारो कुओ पर मोटर रखने के लिये दोदो चेनल गार्डर की कीमत	8400.00
10. बिजली की घुटी की कीमत	25,200.00
11. घमटो मे तारे 7-22 घमटो मोटर तक की कीमत	12,000.00
12. प्रार्थी ने बिजली बोर्ड से कनेक्शन लेने 40,000/- प्रति कनेक्शन	1,20,000.00
13. कुओं मे पाईप से सपोर्ट के लिए क्लोप व बेकेट प्रत्येक कुए मे 5 ब्रेकेट लगे हुए अतः चारो कुआ कीमत	टोटल बी.एफ 1866,23220.00
	2000.00
14 पानी का होदी प्रत्येक कुए पर 5 मीटर ब्यास की 6-6 फुट गहरी बनी हुई है जो कि आर आर सी की है लागत 250 प्रति फुट के हिसाब 2700 फुट6 इ. सीमेन्टे के पाई जमीन दबी हुई की कीमत 7/- प्रति फुट 19600/- होदी 3000/- रुपये प्रतिकुठ 30000/-	49600.00
15. मिट्टी की होली की कीमत	60,000.00
16. बगीचा जिस पर हर तरह के पेड लगे हुए की कीमत लकडी की लागत 4586000/- फलो से कुल आय 2,67,28000/-	3,13,14000.00
17. प्रार्थी के पक्के रिहायशी मकान 37.3×54.3 फुट सिंगलस्टोरी पक्का प्लस्तरसिमेन्ट चुना मय लेटरीन बाथरूम जिसकी लागत 250/- प्रति वर्ग फुट। मकान खा.न. 186	5,86,348.00
18. एक अन्य मकान 19.3×31.7 वर्ग फुट 250/- प्रति वर्ग फुट	1,51,022.00
19. छपरा 16×20 फुट एक साल पुरा नाम	10,000.00
20. एक शेड चार्टो का 50×16.3 फुट 5 साल पुरा कीमत	75000.00
21. छप्पर 40×17 की कीमत	15,000.00
22. 20×13.6 फुट टीन शेड डबल इटो की दीवार का बना हुआ की कीमत	30,000.00
23. एक अन्य छप्पर 50×12 फुट चारो तरफ से इटो की दीवार यह खसरा नम्बर 187 मे है। की कीमत	20,000.00
कुल योग :-	21,88,56170.0

भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास जयपुर

उपरोक्त क्लेम की ताईद मे खातेदारो द्वारा बाजार दर की बाबत धारा 4(1) की विज्ञप्ति के समय के विक्रय पत्र एवं स्टेक्चर्स का तकमीना आदि कुछ भी प्रस्तुत नही किया गया। अतः इससे यह जाहिर होता है कि यह क्लेम मन गढन्त एवं बेबुनियाद तरीके से से तैयार कर पेश किया गया है। जहाँ तक फलदार पेडो के क्लेम का प्रश्न है। यह भी किसी वेल्युवर (होल्टीकल्चरल) द्वारा से तैयार करवा कर पेश नही किया गया है। जो यह क्लेम भी बेबुनियाद है। जो मान्य नही है। मकानात आदि के मुआवजो की जो मॉग की गई है। यह भी तकनिकी रुप से तैयार नही करवाया गया है। अतः मुआवजे के निर्धारण बाबत एवं स्टेक्चर्सकुआ/मकानआदि के एवं फलदार पेडो के मुआवजे राशि का निर्धारण जविप्र द्वारा प्रस्तुत तकमीना के अनुसार एवं प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत धारा 4 के समय की विक्रय दरो के अनुसार ही मुआवजे का निर्धारण किया जायेगा। भूमि खसरा नम्बर 192 रकबा2बि.11बि. 296रकबा 4बि.,297 रकबा 16बि.,339रकबा2बि. गजट में सिवायचक भूमि दर्ज है। अतः इनके मुआवजे के निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह खसरा जेडीए मे नोटिद हो चुकी है।

दिनांक 29-6-91 को रिट याचिका 2421/91 के द्वारा स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय से प्रभावी होने के कारण पूर्व में अवार्ड जारी नहीं किया गया तथा खसरा नम्बर 67 रकबा 4 बीघा । जिसका का अवार्ड दिनांक 3.1-7-91 को घोषित किया जा चुका है । अब माननीय उच्च न्यायालय से विचाराधीन 116 अपीलों का डी.बी. से निर्णय राज्य सरकार/जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पक्ष में हो गया है । न्याय की दृष्टि से खातेदारों/ हितधारियों को दैनिक समाचार के माध्यम से क्लेम पेश करने के लिए सूचना का प्रकाशन कराया गया । सूचना का प्रकाशन होने के पश्चात उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए ।

<u>मुआवजा निर्धारण</u> :-

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर जो निर्णय दिये भूमि के मुआवजा निर्धारण का तरीका धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्रीयों द्वारा उस क्षेत्र में पंजीकृत दर के अनुसार निर्धारण माना गया है । पृथ्वीराज नगर योजना में धारा 4 का गजट नोटिफिकेशन वर्ष 1988 को हुआ था । दिनांक 7-7-88 इसलिये विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 7 जुलाई 1988 को विभिन्न उप पंजीयकों के यहाँ पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों की रजिस्ट्रेशन की क्या दर थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता है ।

जहाँ तक उपरोक्त खसरा नम्बरान के खातेदारों /हितधारियों के मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है । उपरोक्त मामलों में एक तरफा कार्यवाही होने के कारण एवं खातेदारान/ हितधारान द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण खातेदारान/हितधारान की ओर से मुआवजे की राशि की मांग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्तों के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिस के लिये भूमि अवाप्त की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया । जयपुर के [illegible] विकास प्राधिकरण जयपुर के सचिव ने अपने पत्र क्रमांक टी.डी.आर. /91/336 दिनांक 3-6-91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया है कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय [illegible] व ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्याबास तहसील सांगानेर में 15,300.00 रुपये प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का पंजीयन हुआ था । इसलिये जहाँ तक उनके पक्ष का सम्बन्ध है वह दर उचित है ।

हमने इस सम्बन्ध में उप पंजीयक एवं तहसीलदार सांगानेर के यहाँ से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर(प्रथम) ने भी अपने यू.ओ. नोट दिनांक 6-8-91 द्वारा तहसील सांगानेर में धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रयदर यही बताई है ।

लेकिन इस न्यायालय पूर्व पृथ्वीराज नगर योजना में भूमि की मुआवजा राशि दर 24,000.00 प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किया गया है एवं जिसका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो गया है । जयपुर विकास प्राधिकरण ने अभिभाषक श्री मदन लाल कुरोलिया ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24,000.00रु. प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को कोई आपत्ति नहीं होगी । क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी

294

योजना पृथ्वीराज नगर में 24,000.00 प्रति बीघा की दर से मुआवजे का निर्धारण किया गया है। अतः इस अवार्ड में भी 24000.00 प्रति बीघा की दर से निर्धारित किया जावे।

अतः इस मामले में भी इस भूमि की मुआवजा राशि 24,000/- प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं यह भी मानते हैं कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय इस ग्राम में भूमि की कीमत यही थी।

जहाँ तक पेड़ पौधे एवं भूमि पर बने स्टेक्चर्स का प्रश्न है हितधारियों द्वारा कोई तखमीना पेश नहीं किया और स्टेक्चर्स के तखमीने एवं पेड़, पौधों की मुआवजे की मांग की गई है तो वेल्यूवर द्वारा अनुमोदित नहीं एवं होर्टीकल्चर द्वारा तस्दीक शुदा नहीं होने से उनके द्वारा पेश किया गया तखमीना स्टेक्चर्स का एवं पेड़ पौधों का तखमीना मान्य नहीं है। अतः जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से तैयार तखमीना विधिक रूप से तैयार किया गया है के आधार पर ही [illegible] स्टेक्चर्स पेड़, पौधों एवं मकानात, कुआ आदि का देय होगा।

हम इस भूमि के मुआवजा का निर्धारण 24,000.00 प्रति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजा राशि का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक सम्बन्धित दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जावेगा। मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "क" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के अनुसार किया जा रहा है।

अतिरिक्त निदेशक (शहरी) एवं सक्षम अधिकारी भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31-5-91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुल सीमा में सम्मिलित हैं एवं अरबन सीलिंग अधिनियम 1976 से प्रभावित हैं लेकिन उन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि अरबन अधिनियम की धारा 10/3 की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1ए) एवं 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30% प्रतिशत सोलेशियम एवं 12% प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी। [illegible] आदेश की अवधि का ब्याज आदि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे।

यह अवार्ड आज दिनांक 17-7-1996 को जारी कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ भेजा किया जाता है।

संलग्न परिशिष्ट "क"

भूमि अवाप्ति अधिकारी
भूमि [illegible], जयपुर।
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

आज दिनांक 30/8/96 को राज्य सरकार के पत्रांक प.6/15/नवि/भू/87 पार्ट जयपुर दिनांक 30/8/96 के द्वारा यह अवार्ड अनुमोदन होकर प्राप्त हुआ जिसकी स्वीकृति उद्घोषित किया जाता है। अवार्ड की प्रतिलिपि सचिव जविप्रा को मुआवजा राशि भिजवाने हेतु प्रेषित है तथा खातेदारों को धारा 12(2) केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत

शेष पृष्ठ 19 पर

परिशिष्ट "ए" ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील साँगानेर

क्र.सं.	मु.नं.	खातेदार का नाम	खा.नं.	रकबा बीघा-बिस्वा		भूमि के मुआवजे की दर	भूमि ... मुआवजा राशि	स्ट्रेक्चर्स का मुआवजा	कुल मुआवजा राशि
1	2	3	4	4		5	6	7	8
1.	502/80	मदु, धन्ना, आनन्दा कमोदिया छोटू, पि. बालु 5/6, कानापु. मोती 1/2 गुमानापुत्र बिरदा, हि. 1/4 भौरीलालपुत्र धा सी हि. 1/4	390 391 392 393	12 16 06 00 35	10 15 03 02 10	24,000/- 24,000/-	8,52,000.00	37038.00 45700.00 82,738.00	9,34,738.00
2.	467/80	गुल्लापुत्र भवानाहि. 1/2 पितरसीनुमीन्या पिता मोहन 1/2	226 227 232 326	00 0 0 0 0	03 01 01 01 06	24,000.00	7200.00	17,567.00 10,604.00 28171.00	35,371.00
3.	458/80	नारायण, गंगा	173 174 215 216 217 218 6	03 04 00 02 02 04 13	02 06 02 16 04 06 16	24000.00	[illegible] 331200.00 [illegible]	42693.00 42693.00	3.73,893.00
4.	470/80	गुमानापु. बिरदा, भौरी लालपुत्र धासी 1/2 नारा यण, आनन्दा, धन्ना, आनन्दा, मदु, छोटू, रामनाथ पि. बालू कालु, पुत्र सुवा गणेशी सुवा व कानापु. पु. मानी 1/2	251 251	00 00	02 02	24000.00 24000.00	2400.00	58063.00	60463.00
5.	480/85	नारायण, गंगा सहायपुत्र नयाँ रसा, 1/2 धन्ना, रामसुवा, पिता नयाँबक्स हि. 1/2	315 316 418 420 412 413 414	06-06 06 15 01 00 03 00	 02 00 02 03 01 17				

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

5.	480/88	श्रीनारायण वगैरा	415	00	04			2,35015.00		मुगतान के समय राजस्व रेकार्ड से रकबे का मिलान कर भुगतान किया जावे ।
			416	02	07			436.54.00		
			417	00	14	24000.00		58759.00		
				31-16		[illegible]	8,71200/-	3,37,426.00	12,06628.00	
6.	460/88	श्रीनारायण पुत्र ग्यारसा	197	00	03			28083.00		
			199	01	03					
			200	02	03	24000.00	82000.00	28083.00	98863.00	
				03	09	24000.00	82000.00	28083.00	98863.00	
7.	205/88	गुमाना पुत्र बिरदा, गौरीलाल पुत्र घासीलाल, नाबालिक संरक्षक माता गुलाब देवी घासी हीर.बु.	71	2	10					
			244	00	15					
			245	00	03					
			246	00	04					
			247	00	13					
			248	00	19					
			249	01	03					
			250	00	19					
			252	01	13					
			253	01	11			25766.00		
			254	00	11					
			255	00	02			35734.00		
			256	05	09					
			257	00	04					
			258	00	04					
			259	02	10					
			324	04	15					
			17	33	01	24000/-	793200.00	61500.00	8,54,700.00	
8.	061/88 461/88	घासीराम पुत्र घासीनाथ 1/3, श्रीनारायण, गुमा सहाय पुत्र ग्यारसा, 1/3, रामसुखा बुद्धा बेवा छीतर स्वीकार पि. घासीराम	201	00	05					
			200	00	07	24000.00	14,400.00	-	14,400.00	

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

298

9.	464/88	कल्याणमीक, पुन्नीलाल रामलालपि·गोविन्दा सुरेन्द्र पुत्र जीवन 2/9, बाबू हीरा नारायणपि· हीरा, 2/9 नाथूराम पुत्र रामराय पि· लक्ष्मीनारायण हि· 1/6 गणेश पुत्र मोती 1/6	334	03	05	24000·00	81600·00	-	81600·00
							615600·00		
10.	584/88	विरेन्द्रसिंह पुत्र बहुरन सिंह	349/428	25-13		24000·00	[illegible]	62631·00	678231·00
11.	2[illegible]/88	नारायण पिता पुत्र हीर· जा· [illegible]	186	03	13				
			187	00	19				
			188	01	04				
			189	00	06				
			190	02	19			35135·00 39712·00	
			348	28	04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			7	37	05	24000·00	894000·00	74847·00	9,68847·00
12.	466/88	गुल्ला पुत्र भुवाना जाति	225	00	16				
			233	03	16				
			234	00	04				
			333	02	12	24000·00	1,77,600·00	16280·00	1,93,880·00
			4	07	08				

कुल भूमि 241-07

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ, जयपुर

जयपुर